भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *270

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए बजट

***270. श्री अनन्त नायक :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत का स्वास्थ्य बजट सबसे कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने सरकार से देश में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य बजट में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम स्वास्थ्य बजट के कारण रोगियों पर, विशेषकर गरीब पृष्ठभूमि के रोगियों पर अधिक वित्तीय बोझ पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार ने वर्ष 2030 तक स्वास्थ्य बजट को सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 09 अगस्त, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 270 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अनुसार, स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश को वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई है। इस दिशा में सरकार की पहल भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों से स्पष्ट होती है, जहां कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 में 29.0% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 41.4% हो गई। तदनुरूप, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) वर्ष 2014-15 में 1.13% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 1.35% हो गया है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य व्यय वर्ष 2017-18 में 1.4% से बढ़कर वर्ष 2023-24 (बीई) में 1.9% हो गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) और आयुष मंत्रालय का बजट आवंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

बजट (प्राक्कलन)	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	65012	71269	83000	86175	87657
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	2100	2663	3201	2980	3002
आयुष मंत्रालय	2122	2970	3050	3648	3712
कुल	**69234**	**76902**	**89251**	**92803**	**94371**

इसके अतिरिक्त, 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए 70,051 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्रदान किया है।

(ख) और (ग): बजट का आवंटन, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार के राजकोषीय स्वास्थ्य और राज्य सरकारों की संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता से जुड़ा हुआ है।

(घ) : उपलब्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के अनुसार, जेब से होने वाला व्यय (ओओपीई) वर्ष 2014-15 में 62.6% से लगातार घटकर वर्ष 2019-20 में 47.1% हो गया है। लोगों को किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए, सरकार ने चार मिशन मोड परियोजनाएं नामतः पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व में एबीएचडब्ल्यूसी), प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम)। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री- जन

आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) शुरू की हैं जिनका लक्ष्य भारत की आबादी के निचले 40% भाग में आने वाले 12.34 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। एबी पीएम-जेएवाई को लागू करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने खर्च पर लाभार्थी आधार और अधिक विस्तारित किया है। इस योजना के अंतर्गत एक लाख करोड़ से अधिक की लगभग 7.37 करोड़ अस्पताल भर्तियों को प्राधिकृत किया गया है।

अन्य उल्लेखनीय पहलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), नए एम्स की स्थापना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता तथा यूजी और पीजी मेडिकल सीटों में वृद्धि करना शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निःशुल्क औषधि सेवा पहल और निःशुल्क निदान सेवा पहल की शुरुआत की गई है, ताकि अनिवार्य औषधियों और निदान सुविधा केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाले रोगियों के जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) को कम किया जा सके।

इसके अलावा, राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। दिनांक 30.6.2024 की स्थिति के अनुसार, देश भर में 12616 जन औषधि केंद्र कार्यशील हैं। पीएमबीजेपी के उत्पाद समूह में 2047 दवाइयां और 300 सर्जिकल मदें शामिल हैं।

(ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अनुसार, स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश को वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्ल्यू) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के आवंटन को प्राथमिकता देने के लिए और स्वास्थ्य बजट को कुल राज्य बजट के कम से कम 8% तक को बढ़ाने के लिए भी बात की है।

****